

आप नं. १०१८ दिनांक २१/३/१८

सम्पत्ति अवधार-प्रमाणपत्र

प्रमाण पत्र सं. ८९१/२०१८ आवेदन सं. ८९१/२०१८
 पुं. श्री. Dr. Anvesh Chavara Bhat पत्नी श्री. Dr. Anvesh Chavara Bhat
 संपत्ति के सम्बन्ध में निरूपित सम्पत्तियों पर और अवधारों का सविवरण प्रमाण-पत्र दिया जाय।
 (आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण २)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त सम्पत्ति को प्रमाणित करने वाले सम्पत्तियों और अवधारों के बारे में वही मैं और उक्त सम्बन्ध अनुक्रमणियों में ता. ३१.०३.२०१८ में ता. ३१.०३.२०१८ तक तालिका की गई और देती हस्ताक्षरों के बाद निम्न सम्पत्तियों और अवधारों का पता करता है।

क्रम सं.	क) संपत्ति का विवरण	निष्ठादन की तारीख	ख) दस्तावेज प्रमाण और मूल्य	पत्तों के भाग		दस्तावेज की प्रतिलिपि के प्रति मूल्य		
				निष्ठादक	हाथेदार	शिल्ल ॥	रु०	प०
१	२	३	४	५	६	७	८	९
	माने: <u>Labels No. 51-52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100</u> Plot No. 301, 302, 295, 296, 2904 Total Area 100.50 Katha.							
	NIL							

क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें। Ashok Arora
 ख) संपत्ति-पत्र की दशा में ध्यान की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बशर्ते, कि इनके बारे में उल्लेख हो।
 २. पट्टा की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

में यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त संव्यवहार और अवधारों को छोड़, उक्त आपत्ति को प्रमाणित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवधार पर पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण-पत्र तैयार किया :

(हस्ताक्षर)- *E*

(पदनाम)- *clerk*

तलाशी कर सात्यापन और प्रमाणपत्र की जाँच निम्न व्यक्तियों ने की

(हस्ताक्षर)- *[Signature]*

(पदनाम)- *clerk*

फ़र्यालय *Dist. Sub. Registry Office*



तारीख *29/1/2011*

[Signature]

निम्न पदाधिकारी कर हस्ताक्षर

टिप्पणी - इस प्रमाणपत्र में जो संव्यवहार और अवधार दिखाये गये हैं व आवेदक द्वारा गथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से निम्न विवरण देकर किसी इन्हीं संपत्तियों की निरन्वित दातावेजों में दिखाया गया हो, तो ऐसी दातावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेक्शन्स) इस प्रमाण पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

2) निम्नानुसार अधिनियम की धारा 57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) की प्रविष्टियों देखाना चाहते हो, अथवा जो उनका प्रतिनिधि संगा चाहते हो अथवा जिन्हें विनिश्चित संपत्तियों के अवधारों के प्रमाणपत्रों की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करना होगा। विहित फीस का गुप्तान करने पर बहिया और अनुक्रमणियों उनके सामने रख दी जायेंगी।

क) किन्तु चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए फ़र्यालय में अपेशित तलाशी अपने गारतक सावधानी से की है। फिर भी विभाग प्रमाणपत्र में दिये गये तलाशी परिणाम की विरती गूत के लिए निरती भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

ख) और चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेशित तलाशी स्वयं की है और चूंकि दातावेजों द्वारा दिये गये संव्यवहारों और अवधारों के सात्यापन के बाद प्रमाणपत्र में दिया गया है। इसलिए विभाग आवेदक द्वारा न किये गये ऐसे संव्यवहारों और अवधारों की छूट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

Search made by me [Signature]